



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052024-254081
CG-DL-E-07052024-254081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1844]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2024/वैशाख 17, 1946

No. 1844]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2024/VAISAKHA 17, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2024

का.आ. 1937(अ).— केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि यूरेनियम उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 19 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोक उपयोगिता सेवाएं (दूसरा आदेश) 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. केंद्रीय सरकार, यूरेनियम उद्योग में लगी हुई सेवाओं को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अगले छह मास की और अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/9/97-आईआर(पीएल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2024

S.O. 1937(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Uranium Industry, which is covered under item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby issues the following order as follows: -

1. Short title and Commencement. - (1) This order may be called the Public Utility Services (Second Order) 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Central Government hereby declares the services engaged in the Uranium industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/9/97-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.